वकील अध्यक्ष उप। बहस को समयाभाव वाले बहस वास्ते दि. 21-5-19 को पेश हो।

5836-47
23/5/19

21-5-19 पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उप०। बहस अंतरिम सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 27-5-19 को पेश हो।

27-5-19 पत्रावली पेश हुई। सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बउजरिये का पेश किया है कि अराजी ख०नं० 575, 576, 587, 588, 589, 590/2043 कुल किता 6 कुल रकबा 2.53 है०, ग्राम खेड़ली तहसील वजीरपुर मे स्थित है जिसे सायल एवं उसके सहखातेदार की राय में प्रतिवादी सं० 7 लगायत 9 ह शांति पूर्वक काश्त कर अनाज आनेपर परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है दिनांक 20-10-16 को सायल अपने खेतो पर जुताई करने गया तो गैरसायलान ने अपने जानवर सायल के खेत मे छोड़ रखे थे। सायल ने जब गैरसायलान से उन्हे खेत से बाहर निकालने को कहा तो इन्होंने धमकी देते कहा कि हम इस अराजी मे जानवर चरायेंगे तुम्हे जहां शिकायत करनी हो करो। गैरसायलान झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है इसलिए जब तक उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जावेगा वह अपनी हरकतों से बाज नही आयेंगे। सायल का प्राईमा-फेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे है तथा गैरसायलान को पाबन्द नही किया गया तो सायल को ~~अपूरणी~~ अपूरणीय क्षति होगी

जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। इसलिए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि मे सायल के कब्जे-काश्त व उपयोग-उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सं० 2069 से 72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि सायल व अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है, जिसमे गैर सायलान का कोई ताल्लुक-खाता नही है तथा न ही गैर सायलान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर इस सम्बन्ध मे कोई जवाब देही पेश की है। इसलिए सायल के कथनो की पुष्टि होती है तथा गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का स्वीकार किया जाता है कि सायल के कब्जे काश्त की भूमि ख० नं० 575, 576, 587, 588, 589, 590/2053 कुल रकबा 2.53 है०, वाके ग्राम खेड़ली तहसील वजीरपुर मे गैर सायलान को पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमि में सायल के उपयोग-उपभोग व कब्जे काश्त में ता० फैसला दावा बाधा उत्पन्न नही करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्ल से नत्थी होकर मूल वाद के साथ शामिल हो।

सहायक कलेक्टर